Title: Regardign status of implementation of recommendations in the 1st Report of Standing Committee on Rural Development.

12.05 hrs

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : लोक सभा बुलेटिन भाग -II द्वारा 1 सितम्बर, 2004 को जारी लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 क के अनुसरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल आपूर्ति विभाग) से संबद्ध स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट 2004-05 में दी गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य *दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास (पेयजल आपूर्ति विभाग) से संबद्ध स्थायी समिति ने पेयजल आपूर्ति विभाग की वित्तीय वर्ा 2004-05 की अनुदान मांगों की जांच की थी और 18 अगस्त, 2004 को लोक सभा में इस संबंध में पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में 31 सिफारिशें हैं। विभाग ने रिपोर्ट पर विचार किया और समिति को की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट लोक सभा में 19 मार्च, 2005 को प्रस्तुत की गयी थी। समिति ने 19 सिफारिशों के संबंध में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। सरकार के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए समिति की तीन सिफारिशों पर कार्रवाई करने की इच्छा नहीं है। आठ सिफारिशों के संबंध में समिति ने सरकार द्वारा भेजे गए उत्तर को स्वीकार नहीं किया है। शेा एक सिफारिश के लिए विभाग से अंतरिम उत्तर अभी प्राप्त होना है।

पेयजल आपूर्ति विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी और वित्तीय सहायता देने के लिए नोडल विभाग है। इस समय यह विभाग दो केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरड्ब्ल्यूएसपी) और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) क्रियान्वित कर रहा है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख है, समिति द्वारा की गयी 31 सिफारिशों में से सरकार ने 19 सिफारिशें स्वीकार की हैं। ये सिफारिशें मुख्यतः ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अधिक आबंटन, जल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए किए गए आबंटन का अधिकतम उपयोग, ब्लाकों का निचले दर्जे में आ जाना, वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय खर्च की दृष्टि से कम उपलब्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में कारपोरेट क्षेत्र को

आगे आने के लिए अनुरोध, जल संसाधनों का संरक्षण, समुद्री जल को पेयजल और अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकार करना, पूर्वोत्तर राज्यों में नया सर्वेक्षण कराना, स्वच्छता सुविधा के साथ ग्रामीण विद्यालयों का

वरेज, ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में प्रोत्साहन आदि से संबद्ध है। *(Also Placed in Library, See No. LT - 2120/2005

तीन सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति और कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है। ये तीन सिफारिशें एआरड्ब्ल्यूएसपी के अंतर्गत शिथिल मानदंडों, एआरड्ब्ल्यूएसपी के अंतर्गत प्रधान मंत्री के तीन कार्यक्रमों के सभी पहलुओं की कवरेज और गुणवत्ता से प्रभावित ब्लाकों के बारे में सर्वेक्षण से संबंधित हैं।

आठ सिफारिशें ऐसी हैं, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं। ये सिफारिशें मुख्यतः एआरड्ब्ल्यूएसपी के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि के बीच असंतुलन, कुछ राज्यों में एआरड्ब्ल्यूएसपी का वास्तविक निपादन का अपेक्षित स्तर का न होना, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए शिथिल मानदंडों, पूर्ण कवर और आंशिक रूप से कवर ब्लाकों का फिसलकर कवर नहीं ब्लाक में आ जाना, प्रधानमंत्री के तीन कार्यक्रमों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार रिलीज और व्यय के बीच अंतर, एआरड्ब्ल्यूएसपी को स्वजलधारा से बदलना और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के लिए पेयजल को प्राथमिकता देने से संबंधित है।

एक ऐसी सिफारिश जिसके संबंध में समिति को अभी अंतिम उत्तर मिलना बाकी है, यह नियमित अंतराल पर लक्ष्य के नीचे आ जाने के बारे में स्थिति का पता लगाने के लिए निगरानी प्रणाली में अंतर्निर्मित तंत्र के बारे में है।